

कार्यालय :- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम (म0प्र0)

//आदेश//

क्रमांक 218 /दो-11-17/23

नर्मदापुरम,दिनांक 09/03/24

में रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम कार्यविभाजन आदेश वर्ष 2023 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रतिस्थापित करता हूँ :-

अ- पेज क्रमांक 13 की कंडिका 23 सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सिवनी मालवा को विलोपित करते हुये, कंडिका 23 निम्नानुसार पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है :-

23	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा (श्रीमती दुग्गल)	तहसील सिवनी मालवा	1- नियमित सिविल वाद जिनका मूल्यांकन रू0 1/- से 5,00,000/- तक हो एवं उनसे संबंधित विविध एवं निष्पादन मामले। 2- पंचायत ऐक्ट के अंतर्गत सिविल तथा आपराधिक पुनरीक्षण। 3- लघुवाद अधि0 1877 के अधीन मामले जिनका मूल्यांकन 500/- से अधिक न हो। 4- नियमित सिविल वाद तथा लघुवाद मामलों से उत्पन्न विविध न्यायिक वाद तथा निष्पादन मामले। 5- ऐसे समस्त सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सिवनी मालवा के न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे एवं वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। उन समस्त न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण। 6- अन्य कार्य जो समय-समय पर प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निराकरण हेतु ज्ञांपा जावें।
----	---	-------------------	--


“आवश्यक कार्य के निराकरण के चार्ट में पेज क्रमांक 22 की कंडिका 19 (सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा) एवं पेज क्रमांक 23 की कंडिका

30 (सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सिवनी मालवा) के विलोपित की जाना प्रस्तावित है एवं कंडिका 19 एवं 19-ए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

1	2	3	4	5
19	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश नर्मदापुरम
19-ए	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा	सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, सिवनी मालवा के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, इटारसी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, इटारसी	प्रथम सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, नर्मदापुरम के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश नर्मदापुरम

ब- पेज क्रमांक 12 की कंडिका 21 प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, सिवनी मालवा (श्रीमती तबस्सुम खान) के समक्ष कॉलम 4 की कंडिका 20 के पश्चात कंडिका 21 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाना प्रस्तावित है :-

21- ऐसे समस्त जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय/श्रृंखला न्यायालय जो पूर्व में कार्यरत थे, किन्तु वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं, उन न्यायालयों द्वारा निराकृत समस्त प्रकार के सिविल/आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत समस्त प्रकरणों एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों का निराकरण।


 (रामकुमार चौबे)
 प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
 नर्मदापुरम (म0प्र0)

कार्यविभाजन पत्रक 2023 में आंशिक संशोधन की प्रतिलिपि -

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- 02- समस्त न्यायिक अधिकारीगण, जिला स्थापना, नर्मदापुरम/सिवनी मालवा/इटारसी/सोहागपुर/पिपरिया
- 03- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया
- 04- प्रस्तुतकार सेशन न्यायाधीश, नर्मदापुरम
- 05- पंजीयन लिपिक, नर्मदापुरम
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वास्ते- प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म०प्र०)